न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/250

1. रामप्रसाद आत्मज मदना जाति मीणा ।
2. बद्रीलाल आत्मज मदना जाति मीणा ।
3. रामस्वरूप आत्मज मदना जाति मीणा निवासीगण अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रतना आत्मज श्री ग्यारस्या जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 4/1. धनराज आत्मज रतना जाति मीणा निवासी अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 4/2. सुमित्रा पुत्री रतना पत्नी धन्ना मीणा निवासी चरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 4/3. मोहनी पुत्री रतना पत्नी जानकीलाल मीणा निवासी चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 4/4. गिरिराज पुत्री रतन पत्नी लेखराज मीणा निवासी कोटडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   - 4/5. देवन्ता पुत्री रतना पत्नी अशोक जी मीणा निवासी करिडिया की झौपडियॉ कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. बाबूलाल आत्मज नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
6. शान्तिबाई पुत्री नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
7. सुरजी बाई पुत्री नन्दा जाति मीणा निवासी अरडाना ।
8. कमला बाई पुत्री नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल आत्मज धूली लाल जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
2. बद्रीलाल आत्मज धूली लाल जाति मीणा निवासी अरडाना ।
3. बद्री आत्मज प्रभू जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
4. महावीर उर्फ सत्यनारायण आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
5. मस्तराम आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
6. मोती आत्मज प्रभू जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना ।
7. बृजमोहन आत्मज प्रभू जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
8. मोती लाल आत्मज भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, श्री कमलेश कुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के दादा सुक्खा जी के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम अरडाना तहसील कापरेन में 60 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । सुक्खा जी के तीन पुत्र दोला उर्फ धूल्या, ग्यारस्या व नारायण उर्फ नेनगा हुए जो सुक्खा जी की मृत्यु के बाद सुक्खा जी द्वारा छोडी गयी भूमि के 1/3 – 1/3 हिस्से के मालिक हुए । सुक्खा जी के पुत्र नारायण उर्फ नेनगा की मृत्यु हो जाने से उसके दोनों पुत्र भूरा व छोगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया । वर्तमान खसरा नम्बर 290 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नवम्बर 295 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि गलत एवं अवैध तरीके से सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादीगण कम 1 से 9 के खाते अंकित कर दी । उक्त भूमि में वादीगण 1/3 हिस्सा है एवं संयुक्त रूप से वे काबिज काश्त हैं । खसरा नम्बर 34 रकबा 1.06 हैक्टर अवैध रूप से प्रतिवादीगण कम 10 से 13 के खाते अंकित कर दी जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा है और वह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि आधौली काश्त पर दे रखी है । वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसमें उनका 1/3 हिस्सा निहित है । प्रतिवादीगण ने गलत रूप से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने अधिकारों की विधिवत घोषणा करवाकर वादग्रस्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 290, 294, 295, 297 एवं 34 पर वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा 1/3 हिस्से का विधिक रूप से बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज किया जावे तथा एकांकी रूप से कब्जा स्थापित किया जावे इस आशय की घोषणा बंटवारा की डिक्री पारित की जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 10 से 13 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2009 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण क्रम 1 से 8 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से अपीलान्टगण की तामील मानकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादीगण का वाद उनके पक्ष में डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं होने के उपरान्त भी उक्त आराजी को पुश्तैनी सम्पत्ति मानते हुए अपीलान्ट क्रम 1 से 9 के खातेदारी अधिकार की भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा त्रुटिपूर्ण ढंग से घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्टगण की तामील मानकर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादीगण की एकतरफा साक्ष्य ली जाकर वादग्रस्त आराजी का पैतृक भूमि मानते हुए वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया । वादीगण ने उक्त अपीलाधीन निर्णय की पालना में अपने नाम खाते में दर्ज करवा लिया तथा मार्च 2014 के अंतिम सप्ताह में वादीगण ने अपीलान्टगण के स्वामित्व व अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हुए तब उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 21.04.2014 को अपीलाधीन निर्णय एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण के द्वारा एक दावा अपीलान्टगण और प्रतिवादी क्रम 10 लगायत 13 के विरूद्ध अधिकार घोषणा, दुरूस्ती एवं बंटवारे का पेश किया था और उसमें यह कथन किया था कि ग्राम अरडाना में कुल 04 किता की 2.99 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है जिसका उन्हें खातेदार घोषित किया जावे और बंटवारा किया जावे। अपीलान्टगण को कोई तामील नहीं करवायी गई और त्रुटिपूर्ण तामील मानकर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई और वादीगण की साक्ष्य लेकर वादग्रस्त आराजी को पैतृक मानते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए डिक्री पारित की गई । अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं है । इजराय की सूचना भी अपीलान्टगण को नहीं दी गई । दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार सुक्खा थी जिनके 03 पुत्र दोला, नारायण एवं ग्यारस्या हुये । दोला की मृत्यु हो चुकी है । चौथमल और ब्रदी लाल वादी हैं वे दोला के वारिस हैं जिनके द्वारा यह दावा पेश किया गया है । ग्यारस्या की मृत्यु हो

चुकी है जिनके 03 पुत्र मदना, सत्यनारायण एवं नन्दा हुए । नारायण उर्फ नैनगा के पुत्र भूरा एवं छोगा हुए और भूरा का पुत्र मोतीलाल जीवित है जो कि प्रतिवादी है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का कोई हित निहित नहीं है और न ही उनके कब्जा काश्त है । अपीलान्टगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट क्रम 04 की तामील हुई थी और वो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे । अन्य अपीलान्टगण की तामील भी रतना ने प्राप्त की थी ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथ्यों के विपरीत है । अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से पेश की है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । दिनांक 13.03.2003 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण क्रम 04 रतना उपस्थित हुए हैं उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं । दिनांक 19.08.2004 को दावा वादी खारिज किया गया था । यह आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के तहत पारित किया गया है क्योंकि उस दिन प्रतिवादीगण भी उपस्थित नहीं हुए हैं । ऐसी स्थिति में दावे को पुनः नम्बर पर लिये जाते समय प्रतिवादीगण को नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । दिनांक 17.03.2005 को दावा पुनः नम्बर पर लिया गया । दिनांक 11.03.2004 को रतना के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । चूँकि प्रतिवादी ने पहले से ही अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है, ऐसी स्थिति में रेस्टोरेशन का नोटिस उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है । पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सुक्खा के खाते दर्ज है जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–5 से प्रमाणित है । प्रदर्श– 2 ओर 03 मिलान क्षेत्रफल की प्रतियॉ हैं और प्रदर्श– 4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी दोल्या एवं सुक्खा के खाते दर्ज हुई है । इसके उपरान्त नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 प्रदर्श– 1 के अनुसार आराजी मदन्या रतना, नन्दा पिसरान ग्यारसीराम के खाते में दर्ज है । सेटलमेंट को इस प्रकार का इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । मौखिक साक्ष्य भी पेश की गई है जिससे वादी ने अपने दावे को सिद्ध किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–सम्मत है । अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2009 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है और प्रतिवादीगण क्रम 10 से 13 के द्वारा जवाबदावा पेा किया गया है । तनकीयात दिनांक 17.06.2004 को कायम की गई है।

12. पत्रावली पर वादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 प्रदर्श– 1 पेश किया गया है जिसके अनुसार मदन्या, रतना, नन्दा पिसरान ग्यारसीराम के खाते में वादग्रसत आराजी दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 49 का नोट अंकित है जिसमें नन्दा के स्थान उनके वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 नया खाता संख्या 57 के अनुसार प्रतिवादीगण क्रम 10, 11, 12 और 13 के खाते में 06 किता की 5.27 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 34 की रकबा 1.06 हैक्टर आराजी शामिल है । प्रदर्श– 2

और 03 मिलान क्षेत्रफल हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2013–16 प्रदर्श– 4 के अनुसार कुल 08 किता की 59 बीघा 11 बिस्वा भूमि दोल्या व ग्यारसा पिसरान सुक्खा हिस्सा 2/3 नैनवा हिस्सा 1/3 दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 5 के अनुसार सुक्खा के खाते में साबिक खसरा नम्बर की कुल 09 किता की 60 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज है ।

13. पत्रावली पर बयान वादी चौथमल पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

14. प्रतिवादी की ओर से मोतीलाल के बयान के रूप में सिर्फ शपथ पत्र पेश किया गया है । शपथ पत्र की न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं करवायी गई है ।

15. वादीगण के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि सुक्खा के खाते में कुल 09 किता की 60 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज थी । सुक्खा के तीन पुत्र दोल्या, ग्यारसा व नैनगा हुए और हाल खसरा नम्बर की कुल 04 किता की 2.99 हैक्टर आराजी गलत रूप से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 9 के खाते दर्ज की गई है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा है । खसरा नम्बर 34 की रकबा 1.06 हैक्टर आराजी प्रतिवादीगण क्रम 10 से 13 के खाते में दर्ज हो गई है जिसमें भी वादीगण का 1/3 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए खसरा नम्बर 34 की रकबा 1.06 हैक्टर आराजी को प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज रहने का आदेश इस आधार पर पारित किया है कि इसका बेचान प्रतिवादी क्रम 14 के पिता ने किया है और उनका 1/3 हिस्सा मानते हुए खसरा नम्बर 34 का बेचान उनके द्वारा किया जाना मानते हुए प्रतिवादी क्रम 14 का हिस्सा समाप्त कर शेष आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा मानते हुए उन्हें खातेदार घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह मत त्रुटिपूर्ण है । प्रथम तो पत्रावली पर कोई विक्रय पत्र पेश नहीं किया गया है यदि इस तथ्य को सही भी मान लिया जावे कि खसरा नम्बर 34 की रकबा 1.06 हैक्टर आराजी का विक्रय मोतीलाल के पिता भूरया ने प्रतिवादीगण क्रम 10 से 13 को किया है तो भी उनका हिस्सा 1/3 बनता है बेचे गये रकबे को हाल खसरा नम्बर 290, 294, 295 एवं 297 रकबा 2.99 हैक्टर आराजी में शामिल किया जावे तो कुल रकबा 4.05 हैक्टर बनता है जिसका 1/3 हिस्सा 1.06 हैक्टर से कुछ अधिक बनता है ।

16. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एक सहखातेदार को किसी विशिष्ट खसरा नम्बर का पूर्ण रूप से विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं होता है वरन् वे अपने हिस्से का ही विक्रय कर सकते हैं । साथ ही पत्रावली पर जो मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है उनसे हाल एवं साबिक खसरा नम्बरान का मिलान करने पर हाल खसरा नम्बर 290 का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 68 था और मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 के अनुसार इसका साबिक खसरा नम्बर 52 मिन था । इसी प्रकार खसरा नम्बर 294 रकबा 1.01 हैक्टर का प्रदर्श– 2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 15 था और प्रदर्श– 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 52 मिन है । हाल खसरा नम्बर 295 रकबा 0.45 हैक्टर प्रदर्श– 2 के अनुसार साबिक खरा नम्बर 16 था और प्रदर्श– 3 के अनुसार इनके साबिक खसरा नम्बर 51/1 मिन थे । हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 0.53 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर प्रदर्श– 3 में अंकित नहीं है इस कारण खसरा नम्बर का मिलान सुक्खा के खाते की आराजी से नहीं किया जा सकता । हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 1.06 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर प्रदर्श–

2 के अनुसार 37 था और प्रदर्श– 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 37 का साबिक खसरा नम्बर 22 है । प्रदर्श– 5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 22 के 51/1 और 52 सुक्खा के खाते में दर्ज है परन्तु हाल खसरा नम्बर 297 का मिलान पेश किये गये दस्तावेज से नहीं हो पा रहा है ।

17. जहॉ तक तामील का प्रशन है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण कम 1 से 9 सभी के सम्मन रतना को दिये हैं । अपीलान्ट कम 1 से 3 व 5 से 09 रतना के परिवार के सदस्य नहीं हैं । ऐसी स्थिति में इनकी तामील जो रतना को की गई है वह मान्य नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ जो एकतरफा कार्यवाही की गई है वह भी विधि– विरूद्ध है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श– 4 के अनुसार पक्षकारान के सहखातेदारी में कुल 08 किता की 59 बीघा 08 बिस्वा आराजी दर्ज है और प्रदर्श –5 के अनुसार सुक्खा के खाते में 09 किता की 60 बीघा 12 बिस्वा दर्ज थी और हाल राजस्व रिकॉर्ड में मदना, रतना, नन्दा पिसरान ग्यारसीराम के खाते में कुल 04 किता की 2.99 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 34 की रकबा 1.06 हैक्टर आराजी शामिल की जावे तो भी कुल रकबा 4.05 हैक्टर ही बनता है जो साबिक खसरा नम्बर की आराजी से काफी कम है । पक्षकारान ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि रकबा कम किन परिस्थितियों में हुआ है । इन समस्त तथ्यों की जॉच के उपरान्त ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

19. जहॉ तक धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रश्न है अपीलान्टगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में न्यायहित में धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 15 से 18 में किये गये विवेचन के अनुसार पक्षकारान को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा